

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक:-प.6(29)नविवि / 3 / 2004—पार्ट

जयपुर, दिनांक: 4 JUN 2015

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र **दिनांक 03.02.2015** द्वारा जारी निर्देशों की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार विकसित भूमि हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.8.2015 तक एतदद्वारा बढ़ायी जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. सचिव, नगर विकास न्यास (समरत)।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय)/उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय